

घेता ह्ये सांभलिक रिडी जरी घी विरहल निरुध
 प्रथम से लिखवाया जाकर शांति किया गया
 नक्षत्रांतर यंत्र के कुर्मात हेतु तद्विरी-
 जरी घी प्रजापती वरत्तमर कुर्मात हेतु
 रख आगामी दिनांक 05/6/25 के पेश है।

05/6/25 व. वाडी डप. प्रजापती वरत्तमर कुर्मात के
 रख आगामी दिनांक 11/6/25 के पेश
 है।

11/6/25 व. वाडी डप. प्रजापती वरत्तमर कुर्मात के
 रख आगामी दिनांक 20/6/25 के पेश है।

20/6/25 व. वाडी डप. प्रजापती वरत्तमर कुर्मात के
 रख आगामी दिनांक 25/6/25 के पेश
 है।

25/6/25 व. वाडी डप. प्रजापती वरत्तमर कुर्मात के रख
 आगामी दिनांक 03/7/25 के पेश है।
 सहायक कलक्टर
 चौक (जयपुर)

03/7/25 प्रसन्नडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश
 पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु
 दिनांक 16/7/25
 से हो।

16/7/25 व. वाडी डप. पूर्व के कुर्मात रिपीट प्राप्त
 हुई। जे शा. नि. के गयी। वरत्त कुर्मात
 सुनी गयी। वाडी-दाघिपत्ता के मुताबिक कुर्मात
 वाड के अंतिक रिडी छिये जाये क निरुध
 किया। प्रजापती व कुर्मात के अवलोकन किया गया।
 वाडी क वाड मुताबिक कुर्मात अंतिक रिडी
 किया जाता ह्ये विरहल निरुध प्रथम से लिखवाया
 जाकर शा. नि. किया जाता ह्ये प्रजापती कुर्मात
 सुमार देकर दस गजबर से का है। तथा
 दायिल रख है।

डिक्री मुकदमा इबतदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

हेमराज पुत्र श्री लाल, जाति मीणा, निवासी प्लाट नम्बर 11 नीरज विहार, झोटवाड़ा,
जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. तेजपाल पुत्र भगवान सहाय
2. गुलाब देवी पुत्री गाडूराम
3. दिपेन्द्र पुत्र भगवान सहाय
4. पंकजराज पुत्र भगवान सहाय
5. योगेशप्रकाश पुत्र भगवान सहाय
जाति मीणा, निवासी ढोढ़सर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक कार्यालय खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण


वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :-42/2025

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि वाके ग्राम ढोढ़सर, पटवार हल्का ढोढ़सर, भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 नया 693 पुराना 315 के खसरा नं0 133 रकबा 1.2000 है0, खसरा नं0 140 रकबा 0.2600 है0, कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 1.4600 हैक्टियर भूमि व खाता सं0 315 के खसरा नं0 143 रकबा 0.4800 है0 है वर्तमान में खसरा नं0 133, 140 के संबंध में भू-प्रबंध विभाग राजस्थान सरकार द्वारा पर्चा नम्बर 693 के द्वारा नवीन खसरा नं0 133 रकबा 1.2430 है0 व खसरा नं0 28 रकबा 0.2195 है0 बने हैं व खसरा नं0 143 के संबंध भू-प्रबंध विभाग राजस्थान द्वारा खसरा नं0


सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

31 रकबा 0.4843 है0 बने का मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. हेमराज पुत्र श्रीलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति मीणा निवासी प्लॉट नं0 11, नीरज विहार बी, झोटवाड़ा, जिला जयपुर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 133 रकबा 1.20 है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.26 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.46 हैक्टियर भूमि जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. गुलाब देवी पुत्री गाडूराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 143/1 रकबा 0.18 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.18 हैक्टियर भूमि जोकि नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. तेजपाल पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/4, दिपेन्द्र पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/4, पंकजराज पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/4, योगेशप्रकाश पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 143/2 रकबा 0.30 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.30 हैक्टियर भूमि जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 16.07.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.....
ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	0
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
8.मुतफरिक		7.मुतफरिक	
जोड़	6	जोड़	0

सहायक कलेक्टर
चौमू (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-42 / 2025

उनवान

हेमराज पुत्र श्री लाल, जाति मीणा, निवासी प्लाट नम्बर 11 नीरज विहार, झोटवाड़ा,
जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. तेजपाल पुत्र भगवान सहाय
2. गुलाब देवी पुत्री गाडूराम
3. दिपेन्द्र पुत्र भगवान सहाय
4. पंकजराज पुत्र भगवान सहाय
5. योगेशप्रकाश पुत्र भगवान सहाय
जाति मीणा, निवासी ढोढसर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक कार्यालय खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-16.07.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 18.06.2025 पर सहमति जताते हुए वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि वाके ग्राम ढोढसर, पटवार हल्का ढोढसर, भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 नया 693 पुराना 315 के खसरा नं0 133 रकबा 1.2000 है0, खसरा नं0 140 रकबा 0.2600 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.4600 हैक्टेयर भूमि व खाता सं0 315 के खसरा नं0 143 रकबा 0.4800 है0 है वर्तमान में खसरा नं0 133, 140 के संबंध में भू-प्रबंध

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

विभाग राजस्थान सरकार द्वारा पर्चा नम्बर 693 के द्वारा नवीन खसरा नं0 133 रकबा 1.2430 है0 व खसरा नं0 28 रकबा 0.2195 है0 बने हैं व खसरा नं0 143 के संबंध भू-प्रबंध विभाग राजस्थान द्वारा खसरा नं0 31 रकबा 0.4843 है0 बने का मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. हेमराज पुत्र श्रीलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति मीणा निवासी प्लॉट नं0 11, नीरज विहार बी, झोटवाड़ा, जिला जयपुर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 133 रकबा 1.20 है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.26 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.46 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. गुलाब देवी पुत्री गाडूराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 143/1 रकबा 0.18 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. तेजपाल पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/4, दिपेन्द्र पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/4, पंकजराज पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/4, योगेशप्रकाश पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 143/2 रकबा 0.30 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
बोर्ड (जयपुर)